उद्योग संचालनालय , छत्तीसगढ़
उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492 006

रुचि की अभिव्यक्ति (EOI)

(संशोधित)

औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत विद्यालयों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु बनाए गए नियमों के अधीन निजी निवेशकों द्वारा निजी CBSE विद्यालय की स्थापना हेतु

EOI क्रमांक 02/उ.सं./CBSE-विद्यालय/2026 **दिनांक : 23.10.2026**
(EOI दिनांक : 16.10.2026)

1. पृष्ठभूमि

1.1 राज्य शासन ने औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत विद्यालयों में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नियम जारी किए हैं। ये नियम अधिसूचना क्रमांक GENS-2101/5121/2025-COMM. & INDUS., मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 अक्टूबर 2025 से जारी हुए हैं (आगे इन्हें "नियम" कहा गया है)।

1.2 नियमों की कंडिका 4(1) के अनुसार उद्योग संचालनालय को, नियमों के राजपत्र में प्रकाशन से 90 दिवस के भीतर, पात्र नगरीय क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों से अलग विकासखण्ड मुख्यालयों के बारे में जिला प्रशासन से प्रमाण पत्र लेकर, CBSE विद्यालय की स्थापना हेतु निजी निवेशकों से आवेदन बुलाने के लिए विज्ञापन जारी करना है।

1.3 इसी के अनुसार उद्योग संचालनालय , छत्तीसगढ़ राज्य में निजी CBSE विद्यालय की स्थापना पर औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत निवेश प्रोत्साहन की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु निजी निवेशकों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

2. इस EOI का विषय

2.1 छत्तीसगढ़ के ऐसे असेवित नगरीय क्षेत्रों में, अथवा किसी विकासखण्ड मुख्यालय से 10 कि.मी. की परिधि में, जिनके बारे में जिला प्रशासन ने यह प्रमाणित किया है कि वहाँ अभी कोई निजी CBSE विद्यालय संचालित नहीं है, निजी CBSE विद्यालय की स्थापना एवं संचालन के लिए निजी निवेशकों से — अकेले अथवा विधि के अंतर्गत बनी कंपनी/सोसायटी/ट्रस्ट/फर्म/संस्था के रूप में — रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

2.2 पात्र स्थानों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 में दी गई है। आवेदक हर स्थान के लिए अलग आवेदन दे सकता है; हर स्थान के लिए दस्तावेजों का अलग सेट देना होगा।

2.3 नियमों की कंडिका 3(2) के अनुसार प्रस्तावित विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक का CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय होना चाहिए, जिसकी क्षमता कम से कम 500 छात्रों की हो।

3. पात्रता की शर्तें

आवेदक और प्रस्तावित परियोजना को नीचे दी गई सभी शर्तें पूरी करनी होंगी –

क्र.	शर्त
1.	विद्यालय असेवित नगरीय क्षेत्र में, अथवा किसी विकासखण्ड मुख्यालय से 10 कि.मी. की परिधि में होना चाहिए, जैसा कि जिला प्रशासन द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
2.	विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक का, CBSE से मान्यता प्राप्त तथा कम से कम 500 छात्रों की क्षमता वाला होना चाहिए।
3.	विद्यालय के प्रथम संचालन दिनांक से 5 वर्षों के भीतर विद्यालय को कक्षा 12 तक CBSE से मान्यता प्राप्त करनी होगी।
4.	परिसर में छात्रावास, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाएँ तथा खेल सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए।
5.	अनुदान प्राप्त करने के लिए विद्यालय को छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार रखना अनिवार्य होगा।
6.	मान्य स्थायी पूंजी निवेश में विद्यालय भवन, शिक्षा हेतु अधोसंरचना, स्मार्ट क्लास हेतु उपकरण, प्रयोगशाला, खेल अधोसंरचना, छात्रावास एवं मेस शामिल होंगे। भूमि, कार्यशील पूंजी तथा प्री-ऑपरेटिव व्यय इस पूंजीगत व्यय में शामिल नहीं माने जाएंगे।
7.	परियोजना को राज्य स्तरीय समिति से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

4. चयनित निवेशक को मिलने वाले प्रोत्साहन

4.1 सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद इकाई, अपने निवेश के आधार पर, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट 7/8 में बताए गए निवेश प्रोत्साहन के लिए पात्र होगी। छूट, अनुदान अथवा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया शासन द्वारा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत जारी संबंधित नियमों के अनुसार होगी।

4.2 सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र तथा निरंतरता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण किया जाएगा।

5. चयनित निवेशक के दायित्व

क्र.	दायित्व
1.	विद्यालय के प्रथम संचालन दिनांक से 5 वर्षों के भीतर कक्षा 12 तक CBSE से मान्यता प्राप्त करनी होगी।

क्र.	दायित्व
2.	परिसर में छात्रावास, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाएँ तथा खेल सुविधा की व्यवस्था बनाए रखनी होगी।
3.	अनुदान की पूरी अवधि तक छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार रखना होगा।
4.	निवेश प्रोत्साहन प्राप्त इकाई को संबंधित छूट/अनुदान/प्रतिपूर्ति के नियमों में बताए गए दायित्वों का पालन करना होगा।

टीप : इकाई द्वारा किसी नियम अथवा शर्त का पालन न करने पर संबंधित छूट/अनुदान/प्रतिपूर्ति के नियमों में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार वसूली की जा सकेगी।

6. आवेदन कैसे प्रस्तुत करें

6.1 आवेदन केवल छत्तीसगढ़ शासन के सिंगल विण्डो सिस्टम https://invest.cg.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रस्तुत किए जाएंगे। डाक, हाथों-हाथ अथवा ई-मेल से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

6.2 आवेदक पोर्टल पर पंजीयन कर, लॉग-इन करने के बाद सेवा "निजी CBSE विद्यालय – अधिसूचना क्रमांक GENS-2101/5121/2025-COMM. & INDUS., दिनांक 14.10.2025 के अंतर्गत EOI" चुनेगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेगा और उसे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

6.3 आवेदक को ठीक दो दस्तावेज अपलोड करने होंगे, हर एक अलग PDF फाइल के रूप में –

- दस्तावेज-1 – पूर्व-अर्हता (Pre-Qualification) दस्तावेज : यह PDF पासवर्ड से सुरक्षित नहीं होगी और बिना पासवर्ड के खुलनी चाहिए।
- दस्तावेज-2 – वित्तीय (Financial) दस्तावेज : यह PDF आवेदक द्वारा तय किए गए पासवर्ड से सुरक्षित (password protected) होगी।

6.4 दस्तावेज-2 का पासवर्ड आवेदक, आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, इस दस्तावेज की कंडिका 8 में दी गई समय-सारणी के अनुसार, सिंगल विण्डो सिस्टम में पंजीकृत ई-मेल पते से ई-मेल आई.डी. invest-support@cg.gov.in पर भेजेगा।

- ई-मेल का विषय : "EOI CBSE School 2026 – Password – <SWS आवेदन क्रमांक> – <आवेदक का नाम>"।
- ई-मेल में लिखें : SWS आवेदन क्रमांक, आवेदक का नाम, प्रस्तावित स्थान तथा पासवर्ड।

6.5 यदि पासवर्ड न मिलने, गलत पासवर्ड मिलने अथवा फाइल खराब होने के कारण दस्तावेज-2 नहीं खुलता है, तो आवेदन निरस्त किया जा सकेगा। पासवर्ड न मिलने, फाइल खराब होने अथवा तय समय के बाद मिलने के लिए उद्योग संचालनालय जिम्मेदार नहीं होगा।

6.6 दस्तावेज-1 में प्रस्तावित निवेश अथवा वित्तीय प्रस्ताव का कोई भी अंश नहीं लिखा जाना चाहिए। वित्तीय प्रस्ताव केवल दस्तावेज-2 में ही रहेगा।

6.7 दोनों PDF फाइलें सर्च योग्य, साफ पढ़ने योग्य तथा क्रम से पृष्ठांकित होंगी और हर फाइल का आकार 25 MB से अधिक नहीं होगा। हर पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर होंगे अथवा फाइल डिजिटल हस्ताक्षरित होगी।

7. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज

7.1 दस्तावेज-1 – पूर्व-अर्हता दस्तावेज (पासवर्ड रहित)

(1) आवेदक के गठन संबंधी दस्तावेज – निगमन प्रमाण पत्र/सोसायटी अथवा ट्रस्ट का पंजीयन प्रमाण पत्र/साझेदारी विलेख, संस्था ज्ञापन एवं अंतर्नियम अथवा ट्रस्ट डीड, जो लागू हो।

(2) आवेदक का पैन तथा जहाँ लागू हो वहाँ जी.एस.टी.आई.एन.।

(3) हस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत करने वाला संचालक मण्डल/प्रबंध समिति का प्रस्ताव अथवा मुख्तारनामा।

(4) प्रस्तावित स्थल के स्वत्व संबंधी दस्तावेज – स्वामित्व के दस्तावेज, अथवा पंजीकृत पट्टा विलेख/पट्टा अनुबंध, अथवा आबंटन पत्र, जो लागू हो।

(5) प्रस्तावित स्थल का विवरण – खसरा क्रमांक, रकबा, वार्ड/ग्राम, नगरीय निकाय अथवा विकासखण्ड, स्थल मानचित्र तथा विकासखण्ड मुख्यालय से स्थल की दूरी।

(6) प्रस्तावित विद्यालय का आर्किटेक्चरल प्लान, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के कक्ष, छात्र क्षमता, छात्रावास, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशालाएँ तथा खेल सुविधाएँ दिखाई गई हों।

(7) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (विवरणात्मक भाग, वित्तीय छोड़कर) – जिसमें परियोजना की संक्षिप्त रूपरेखा, स्थल का चयन, आर्किटेक्चरल प्लान, प्रस्तावित छात्र क्षमता, कक्षावार सेक्शन, प्रस्तावित शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय स्टाफ तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात, एवं संभावित रोजगार के आंकड़े हों।

(8) इस आशय का शपथ-पत्र कि विद्यालय के प्रथम संचालन दिनांक से 5 वर्षों के भीतर कक्षा 12 तक CBSE से मान्यता प्राप्त कर ली जाएगी।

7.2 दस्तावेज-2 – वित्तीय दस्तावेज (पासवर्ड से सुरक्षित)

(9) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन – वित्तीय भाग, जिसमें निवेश लागत का विवरण हो।

(10) प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश का मदवार विवरण – विद्यालय भवन, शिक्षा हेतु अधोसंरचना, स्मार्ट क्लास हेतु उपकरण, प्रयोगशाला, खेल अधोसंरचना, छात्रावास एवं मेस; इसमें भूमि, कार्यशील पूंजी तथा प्री-ऑपरेटिव व्यय स्पष्ट रूप से अलग रखे जाएं।

(11) प्रस्तावित निवेश की गणना

(12) वित्त के स्रोत – प्रवर्तक अंशदान एवं सावधि ऋण, तथा वित्तीय संस्था/बैंक का स्वीकृति पत्र अथवा सैद्धांतिक स्वीकृति, यदि हो।

(13) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के अंकेक्षित वित्तीय विवरण एवं आयकर विवरणी, तथा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी नेट-वर्थ प्रमाण पत्र। यदि तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए हों, तो नेट-वर्थ दर्शाने वाला चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

(14) प्रस्तावित रोजगार का विवरण, जिसमें प्रस्तावित शिक्षकीय एवं गैर-शिक्षकीय स्टाफ भी शामिल हो।

8. समय-सारणी

क्र.	विवरण	दिनांक एवं समय
1.	EOI के प्रकाशन का दिनांक	16.10.2026
2.	पूर्व-आवेदन (प्री-बिड) बैठक – संचालनालय उद्योग, उद्योग भवन, रायपुर (हाइब्रिड मोड; वी.सी. लिंक invest.cg.gov.in पर उपलब्ध रहेगा)	22.10.2026, प्रातः 11:30 बजे एवं 29.10.2026, प्रातः 11:30 बजे
3.	invest.cg.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ	23.10.2026, प्रातः 10:00 बजे
4.	ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	07.12.2026, सायं 5:30 बजे तक
5.	दस्तावेज-2 का पासवर्ड invest-support@cg.gov.in पर भेजने की अंतिम तिथि (आवेदन विंडो बंद होने के पश्चात)	14.12.2026, सायं 5:30 बजे तक
6.	स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय समिति (SLC) की बैठक	दिनांक invest.cg.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा

टीप : नियमों की कंडिका 4(2) के अनुसार विज्ञापन की तारीख से कम से कम 45 दिवस का समय आवेदन देने के लिए उपलब्ध है। तय अवधि में एक भी आवेदन न मिलने पर अवधि 45-45 दिवस बढ़ाई जा सकेगी और ऐसी वृद्धि invest.cg.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।

9. परीक्षण, मूल्यांकन एवं चयन

9.1 पूर्ण आवेदन नीचे दी गई राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे –

क्र.	सदस्य	पद
(i)	आयुक्त/संचालक उद्योग अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	अध्यक्ष
(ii)	संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य

क्र.	सदस्य	पद
(iii)	प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी अथवा उनके प्रतिनिधि, जो मुख्य महाप्रबंधक से अनिम्न स्तर के हों	सदस्य
(iv)	मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, जो कार्यपालन अभियंता से अनिम्न स्तर के हों	सदस्य
(v)	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अथवा उनके प्रतिनिधि, जो उपसंचालक से अनिम्न स्तर के हों	सदस्य
(vi)	संचालक, नगरीय प्रशासन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास अथवा उनके प्रतिनिधि, जो उपसंचालक से अनिम्न स्तर के हों	सदस्य
(vii)	संचालक, लोक शिक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त संचालक से अनिम्न स्तर के हों	सदस्य
(viii)	संचालनालय उद्योग के अधिकारी, जो उपसंचालक से अनिम्न स्तर के हों	सदस्य सचिव

9.2 समिति का कोरम 4 होगा, जिसमें क्रमांक (vii) पर उल्लेखित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। समिति आवश्यकता पड़ने पर किसी विषय विशेषज्ञ अथवा विशेष सदस्य को आमंत्रित कर सकेगी।

9.3 राज्य स्तरीय समिति प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन कर पात्र आवेदनों का चयन करेगी। पात्र आवेदनों को प्रस्तावित निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और उनके प्रस्ताव की तकनीकी जाँच की जाएगी। पात्र आवेदनों में सबसे अधिक निवेश वाले प्रस्ताव को समिति चयनित करेगी (नियम 4(5))। प्रत्येक पात्र विकासखण्ड में अधिकतम तीन आवेदन (प्रस्तावित निवेश के आधार पर) को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

9.4 निवेश की गणना केवल नियमों में बताए गए मदों पर की जाएगी। प्रस्तावित निवेश की गणना लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी दर अनुसूची (SOR) अथवा ₹2,000 प्रति वर्ग फीट, जो कम हो, के आधार पर होगी।

9.5 समिति की अनुशंसा पर उद्योग संचालनालय आवेदकों के पक्ष में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करेगा।

10. सामान्य नियम एवं शर्तें

10.1 यह EOI केवल आवेदन आमंत्रित करने की सूचना है। यह राज्य शासन अथवा उद्योग संचालनालय की ओर से कोई प्रस्ताव या वचन नहीं है। केवल आवेदन देने से किसी आवेदक को कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

10.2 उद्योग संचालनालय को बिना कारण बताए किसी भी स्तर पर इस EOI में संशोधन करने, अवधि बढ़ाने अथवा इसे वापस लेने का अधिकार है। हर शुद्धिपत्र/परिशिष्ट केवल invest.cg.gov.in तथा उद्योग संचालनालय की वेबसाइट पर ही प्रकाशित होगा, इसलिए आवेदक इन वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहें।

10.3 आवेदन तैयार करने और प्रस्तुत करने का पूरा खर्च आवेदक स्वयं वहन करेगा। किसी भी स्थिति में यह खर्च वापस नहीं किया जाएगा।

10.4 अपूर्ण, शर्त सहित अथवा नियमों/इस EOI के अनुरूप न होने वाले आवेदन निरस्त किए जा सकेंगे।

10.5 आयुक्त/संचालक उद्योग अथवा राज्य स्तरीय समिति द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को, आदेश की सूचना मिलने की तारीख से 45 दिवस के भीतर अपील की जा सकेगी। अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब होने पर भारसाधक सचिव विचार कर ऐसे विलम्ब को शिथिल करने का निर्णय ले सकेंगे। अपील तभी स्वीकार होगी जब रुपये 5,000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) अपील शुल्क जमा किया जाए; अनुसूचित जाति/जनजाति, नि:शक्त अथवा नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में अपील शुल्क रुपये 2,500 (यथा लागू कर अतिरिक्त) देय होगा।

10.6 नियमों की व्याख्या, प्रतिपूर्ति की पात्रता अथवा किसी अन्य विवाद की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

10.7 यह EOI हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में जारी किया गया है। दोनों में किसी अंतर की स्थिति में हिन्दी संस्करण मान्य होगा।

10.8 इन नियमों के अंतर्गत कोई भी वाद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालय में ही दायर किया जा सकेगा।

10.9 इस EOI में लिखी किसी बात पर उक्त नियम तथा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधान प्रभावी होंगे। आवेदक आवेदन करने से पहले नियमों को अवश्य पढ़ लें।

11. संपर्क

उद्योग संचालनालय , उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़) – 492 006

दूरभाष : (0771) 2583652-54 ई-मेल : invest-support@cg.gov.in वेबसाइट : https://invest.cg.gov.in

अपर संचालक, उद्योग
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट-1

जिला प्रशासन द्वारा प्रमाणित पात्र स्थानों की जिलेवार सूची

क्र.	जिला	विकासखण्ड
1.	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (केसीजी)	छुईखदान
2.	कोरिया	सोनहत
3.	कोण्डागांव	फरसगांव, केशकाल, बड़ेराजपुर, माकड़ी
4.	सूरजपुर	प्रेमनगर, रामानुजनगर
5.	मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी (एमसीबी)	भरतपुर, खड़गवां
6.	कबीरधाम	सहसपुर लोहारा, बोड़ला
7.	गरियाबंद	फिंगेश्वर
8.	नारायणपुर	ओरछा
9.	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	मोहला, अम्बागढ़ चौकी, मानपुर
10.	धमतरी	मगरलोड
11.	राजनांदगांव	छुरिया
12.	सुकमा	सुकमा, कोंटा, छिंदगढ़
13.	कांकेर	दुर्गूकोन्दल, कोयलीबेड़ा, नरहरपुर
14.	बीजापुर	बीजापुर, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम